न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–146/11 (आरसीएमएस नं. 2011/00008)

1. हरनारायण मीना पुत्र श्योलाल जाति मीना निवासी बावल तहसील बावल जिला रेवाड़ी, हरियणा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर के आदेश दिनांक 30.03.2011 (प्रकरण संख्या 11/62/10) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 13 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 387 के मयूर खॉ पुत्र अनखी मेव निवासी धोली दुब तहसील अलवर के नाम दर्ज व स्वीकार किया था, मयूर खॉ ने उक्त आराजी का बेचान मदनलाल विजय, अविना, विजेन्द्र, शक्तिसिंह, जोगेन्द्र सिंह, गिर्राज, देवेन्द्र सिंह वगैरा को कर दिया जिसका नामान्तरकरण बैयनामा के आधार पर क्रेतागण के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया व क्रेतागण उक्त आराजीयात पर बहैसियत खरीददार खातेदार के कब्जा चला आ रहा है। नामान्तरकरण के अनुसार उक्त खरीददारान में से विजय अरोड़ा पुत्र मदन लाल अरोड़ा निवासी जयपुर व शक्तिसिंह पुत्र बुधसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी का 2/9 हिस्सा था मिन अपीलान्ट ने शक्तिसिंह को पूर्ण अंश 1/9 हिस्सा 218.47 वर्गगज व विजय अरोड़ा के 1/9 हिस्सा में 44.41 वर्ग गज यानि कुल 262.88 वर्गगज खरीद की जिसका बैयनामा दिनांक 18.07.2000 को उप पंजीयक अलवर के यहॉ पंजीबद्ध कराया गया तथा मिन अपीलान्ट उक्त खरीदशुदा आराजी पर बहैसीयत खरीदार के काबिज व दाखिल चला आ रहा है व अपीलान्ट को हर किस्म के हकूक मिलकीयत व खातेदारी प्राप्त हो चुके है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है मिन अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर के यहॉ उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुदा आराजी का नामान्तरकरण दर्ज करने के लिये आवेदन किया जिस पर तहसीलदार अलवर ने पटवारी हल्का की इस बाबत रिपोर्ट मांगी जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि विजयसिंह, शक्तिसिंह का नाम जमाबन्दी में अंकित नही है इसलिये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त आराजी के खरीददार के नाम नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार नही किया जो खिलाफ कानूनी होने के कारण तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 08.09.2010 पारित किया गया है, जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि जब उक्त विजय अरोड़ा व शक्तिसिह वगैरा से आराजी मुतनाजा खरीद की है तथा उनके नाम आराजी का

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नामान्तरकरण संख्या 525 दर्ज व स्वीकार किया जिस जिस बाबत बयनामा से मुफसिल तौर से तथ्य दर्ज थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही किया गया जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मिन अपीलान्ट ने तहसीलदार अलवर के आदेश के खिलाफ जिला कलक्टर अलवर के समक्ष एक अपील पेश की लेकिन जिला कलक्टर अलवर द्वारा उक्त अपील के तथ्यों पर बिना गौर फरमाये ही सरसरी तौर पर अपील खारिज कर भारी कानूनी भूल की है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ तहसीलदार अलवर ने उक्त आराजी का कोई मौका नही देखा व ना ही कब्जा देखा, ना ही जो अपीलान्ट ने खरीद किया था उस पर गौर किया इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2011 व तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 08.09.2010 खारिज किया जावे एवं आराजी विवादग्रस्त जो अपीलान्ट द्वारा खरीद की गई है, उसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न विक्रय पत्र दिनांक 31.12.1998 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई तथा तहसीलदार अलवर द्वारा वादग्रस्त आराजी बेचानकर्ता के नाम दर्ज रिकार्ड नही होने से नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की गई है जबकि आराजी के राजस्व रिकार्ड में बिना अंकित नाम के आराजी का बेचान भी नही किया जा सकता है किन्तु उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2011 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2011 एवं तहसीलदार अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2010 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।